(331)

II / निग० / रीवा / 2018 / 02129

(439)

# न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर म.प्र.

आशुतोष अग्निहोत्री तनय गुरूसाम्यसदाशिव प्रसाद अग्निहोत्री निवासी ग्राम निपनिया वार्ड क्र. 1 तह. हुजूर जिला रीवा म.प्र. ........................निगरानीकर्ता

बनाम्

रमाकांत पाण्डेय तनय ओंकार प्रसाद पाण्डेय निवासी ग्राम दुआरी पचउहा तह. गुढ़ जिला रीवा म.प्र. ....................गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय तह. मनगवां जिला रीवा म.प्र. प्र.क्र. 28 अ 6/2016–17 अंतरिम आदेश दिनांक 31.01.2018

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959 ई.

आवेदक की ओर से श्री वृजेन्द्र सिंह एड. द्वारा पेश 27-3-18

27.3.18

कलर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित हैं–

1– यह कि आदेश अधिनस्थ न्यायालय विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है।

2– यह कि अधिनस्थ न्यायालय ने विधी के सारवान तथ्यों पर कोई विचार न कर प्रश्नाधीन आदेश पारित करने में वैधानिक भूल की गयी है जो किसी भी स्थिति कायम रखे जाने योग्य नहीं है।

3– यह कि आराजी भूमि खसरा क्र. 9/2, 13, 516, 517, 531, 537, 722, 723, 724, 725, 728, 729, 904, 906, 907, 909, 937, 938, 937/1331 कुल किता 19 जुमला रकबा 45.17 ए. के 1/2 भाग कि भूमिस्वामी निगरानीकर्ता की बड़ी मॉ सावित्री देवी व 1/2 हिस्से भूमिस्वामी निगरानीकर्ता के पिता व चाचा शम्भू प्रसाद के वारिसान प्रदीप कुमार व नरोत्तम कुमार दर्ज राजस्व अभिलेख थे तथा निगरानीकर्ता की बड़ी मॉ द्वारा अपनी चल अचल सम्पत्ति को जरिए पंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 06.07.2015 निष्पादित कर निगरानीकर्ता को दे दिया जिनकी मृत्यु दिनांक 04.05.2016 को हो गयी है तथा उनकी मृत्यु के बाद निगरानीकर्ता द्वारा जरिए पंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 06.07.2015 के अनुसार वसीयत प्रभावशील होने पर विधिवत न्यायालय तहसीलदार तह. मनगवां जिला

......2

(331)

# राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

क्रमांक II / निग0 / रीवा / भू–रा0 / 2018 / 2129 जिला–रीवा

आशुतोष अग्निहोत्री / रमाकांत पाण्डेय

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 24.04.19 | आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री बृजेन्द्र सिंह उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, तहसील मनगवां के प्रकरण क्रमांक 28 / अ–6 / 2016–17 में पारित आदेश दिनांक 31.01.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 25.07.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो।<br><br>(बी.एम.शर्मा),<br>सदस्य | |